न्यायालय सहायक कलक्टर जयपुर शहर प्रथम

उनवान ....गोपाल.... बनाम ....रामप्यारी

मुकदमा संख्या- T.I. 204/2022

24/09/24

पत्रावली वास्ते आदेशार्थ प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा पेश हुई। प्रार्थी अधिवक्ता हाजिर। अप्रार्थी स्वयं/अप्रार्थी अधिवक्ता कोई उपस्थित नहीं आया, इसलिए प्रार्थी अधिवक्ता की पूर्व में एकपक्षीय बहस सुनी गई। दौराने बहस प्रार्थी अधिवक्ता ने निवेदन किया कि ग्राम नांगल जैसा बोहरा, भू0अ0नि0 क्षैत्र झोटवाडा, तहसील जयपुर अवस्थित खसरा नम्बर 669 रकबा 03 बिस्वा, खसरा नम्बर 671 रकबा 01 बिस्वा की किस्म आबादी है। जिस पर प्रार्थी, पूर्वजों के समय से बने मकानात् में निवास कर रहे है तथा कृषि कार्य कर जीवन यापन कर रहे है। उक्त भूमि पर प्रार्थी के पिता के नाम से विधुत कनेक्शन लगा हुआ है। प्रथम सेटलमेन्ट के दौरान वादग्रस्त खसरा नम्बरान् की खातेदारी/पर्चा जागीरदार के नाम से जारी कर दिया गया। अब उनके तथाकथित वारिसान् राजस्व रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज करवाकर प्रार्थी को जबरन बेदखल कर, विक्रय करने पर आमादा है, जिसका उन्हें कोई हक अधिकार नहीं है। अतः अप्रार्थीगण को ताफैसला वाद अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद करने हेतु निवेदन किया।

प्रार्थी की बहस में जाहिर तथ्यों व पत्रावली मय दस्तावेजात् अवलोकन करने पर न्यायालय यह पाता है कि प्रार्थी ने यह प्रार्थना पत्र, दावा बाबत् घोषणा के साथ पेश किया है एवं वादग्रस्त खसरा नम्बर खसरा नम्बर 669, 671 की किस्म गै0मु0 आबादी है, जिनकी खातेदारी अप्रार्थी के नाम दर्ज है। इस प्रकार प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थी के पक्ष में ना होकर, अप्रार्थी के पक्ष में प्रतीत होता है। प्रार्थी यह सिद्ध करने में विफल रहा है कि यदि वादग्रस्त भूमि का बेचान, अन्तरण होता है तो उसे किस प्रकार की क्षति कारित होगी। चूंकि विवादग्रस्त आराजी अप्रार्थी के नाम दर्ज है, इसलिए अप्रार्थी को अपूरणीय क्षति होने की सम्भावना से इन्कार नहीं किया जा सकता।

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 212, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम को खारिज किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 24/09/2024 को सरे इजलास सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार हो, दर्ज नम्बर से कम हो।

सहायक कलक्टर
जयपुर शहर प्रथम